



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नेक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ खान
कार्यकारी कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Acting Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक: 003/2003/का.आ./02-59/2021
दिनांक : 23.03.2021

आदेश

वर्धा शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर विश्वविद्यालय परिसर में बिना पूर्वानुमति के आने वाले बाहरी लोगों का अगले आदेश तक प्रवेश प्रतिबंधित किया जाता है।

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कादर नवाज़
(कुलसचिव)
23/03/21

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति द्वय कार्यालय
3. कुलानुशासक कार्यालय
4. सुरक्षा अधिकारी (आवश्यक कार्रवाई हेतु)
5. विश्वविद्यालय वेबसाइट
6. संबंधित पत्रावली